



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 348 राँची, शुक्रवार,

9 जून, 2023 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

8 जून, 2023

संख्या-01/स्था0श्र0नि0प्र0-9063/2016(खंड-III)- 1008--श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के पदाधिकारियों के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्तें नियमावली के निर्धारण हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-544, दिनांक-01.04.2022(गजट में प्रकाशन की तिथि-06.04.2022) द्वारा झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली (संशोधित), 2023 अधिसूचित है । जिसे झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा संशोधित नियमावली गठित करते हैं ।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- यह नियामवली झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2023 कहलायेगी ।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के भाग-6 के नियम-13 उप नियम-(3) के प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता एवं सम्पुष्टि:- श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को किसी भी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के सभी विषयों यथा- विधि भाग-1 (A)/विधि भाग-1 (B), विधि भाग-II, लेखा, हिन्दी, कम्प्यूटर (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक) में उच्च स्तर से एवं जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना, वार्षिक गोपनीय चरित्र संतोषप्रद तथा सेवा संपुष्ट होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति हेतु आरोपों की समीक्षा के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-6227 दिनांक-20.11.2008 के प्रावधान तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे।	विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता एवं सम्पुष्टि:- श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को किसी भी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के सभी विषयों यथा- विधि भाग-1 (A)/विधि भाग-1 (B), विधि भाग-II, लेखा, हिन्दी, कम्प्यूटर (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक) में उच्च स्तर से एवं जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना, वार्षिक गोपनीय चरित्र संतोषप्रद तथा सेवा संपुष्ट होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति हेतु आरोपों की समीक्षा के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-6227 दिनांक-20.11.2008 के प्रावधान तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे। परन्तु यह कि अधिसूचित नियमावली, 2022 की गजट में प्रकाशन की तिथि 06.04.2022 के पूर्व नियुक्त एवं सम्पुष्ट श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के पदधारक/पदाधिकारी को उप नियम-3 में उल्लेखित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के प्रावधानों से विमुक्ति होगी।

3. “झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2022” इस हद तक संशोधित समझे जायेगे तथा नियमावली के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव।
